कार्यालय, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी॰टी॰नगर, भोपाल

कमांक/प्रशासन/आविभो/147/2025 भोपाल, दिनांक 11/07/2025

Tender Document
Technical-Cum-Commercial Bid

1. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी.टी. नगर भोपाल में स्थित है। उक्त 03 भवन, सभागृह एवं परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा गार्ड सेंवाऐं 02 वर्ष की अवधि के लिए दरें आमंत्रित की जाती है।

2. आदर्श विद्यालय भोपाल भवन एवं परिसर में सुरक्षा एजेंसी की सुरक्षा गार्ड सेवाऐं संतोषजनक पायी जाती है। तो समान शर्तों और सेवा शुल्क पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सुरक्षा सेवाऐं आगामी 06 माह की अवधि हेतु बढायी जा सकती है। एवं भोपाल जिलाध्यक्ष द्वारा अकुशल, अर्द्वकुशल, कुशल श्रमिकों की समय–2 पर वेतन दरों में वृद्वि होने पर सुरक्षा गार्ड वेतन दरें भी श्रमिकों की श्रेणी में आने उसी आधार पर दरें निर्धारित होने पर वृद्वि का प्रावधान नियमानुसार रहेगा।

3. आदर्श विद्यालय परिसर तात्या टोपे नगर भोपाल में स्थित है।

4. यह आमंत्रण ऐसे सुरक्षा एजेंसियों और व्यक्तियों के लिए खुला है, जिनके पास सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नतम 5 वर्ष का अनुभव है। एवं वर्तमान में मध्यप्रदेश के किसी सरकारी विभाग/निगम मंडल, अन्य उपक्रम एवं व्यवसायिक संस्था को अनुबंध पर सेवाऐं प्रदान कर रहा है। सुरक्षा एजेंसी को P.F. & ESIC मध्यप्रदेश के स्थानीय प्राधिकरण का पंजीकरण एवं मध्यप्रदेंश के गृह विभाग का लायसेंस धारी एवं वैद्यता संबंधित समस्त दस्तावेज होना आवश्यक है।

5. निविदाकार आदर्श उ.मा. विद्यालय भोपाल में 16 सुरक्षा गार्ड 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रति गार्ड 08 घंटे की ड्यूटी के अनुसार मासिक दर पर कोटेशन दरें प्रदान करना होगा। जिसमें अनुबंध अवधि के दौरान श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान, Provident Fund, ESIC, Service Charge & All Taxes Applicable As Per Goverment Rules का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा भुगतान किया जावेगा। एवं दरें समस्त करों सहित होगी जिसका पृथक–2 उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना होगा। जिससे संबंधित दस्तावेज भी संलग्न प्रस्तुत करना होंगे। एवं प्रतिमाह उपरोक्त टेक्स जमा के चालान,दस्तावेज विद्यालय में प्रस्तुत करना होंगे।

6. यदि निविदाकार द्वारा निविदा में दरें श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से कम का उल्लेख करता है या सर्विस चार्ज एवं कर का उल्लेख नहीं करता है। तो ऐसी वित्तीय बोली का अस्वीकार किया जावेगा।

7. कोटेशनों में उल्लेखित दर सुरक्षा एजेंसियों के चयन के लिए एकमात्र मापदंड नहीं है एवं विद्यालय प्रशासन के विवेकाधीन है। ऐसी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत निविदाऐं जिनके पास 05 वर्ष का अनुभव नहीं है। उन पर विचार नहीं किया जावेगा। एवं उनकी निविदाऐं अस्वीकार कर दी जावेगी।

8. सुरक्षा एजेंसियों को निर्धारित टेन्डर फार्म दिनांक 11/07/2025 से 28/07/2025 तक कार्यालयीन समय अपरान्ह 12:00 से 03:00. बजे तक विद्यालय वेबसाईट में उल्लेखित शुल्क राशि पर प्राप्त करना होगा।

9. सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त निविदाऐं दिनांक 28/07/2025 को अपरान्ह 04:30 बजे सार्वजनिक रूप से विद्यालय कक्ष में प्राचार्य महोदया, समिति सदस्यों एवं सुरक्षा एजेंसियों/प्रतिनिधियों/प्रोपराईटर्स की उपस्थिति में खोली जावेगी।

10. सेवा उपार्जन के अंतर्गत निविदाकार द्वारा प्रस्तावित प्रबंधकीय शुल्क ऐसा हो जो निर्धारित पारिश्रमिक एवं वैधानिक देयों के सापेक्ष एवं संतुलित हो तथा मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम न हो।

11. निविदाकार संस्था के लिए यह अनिवार्य हो कि वह अग्नि–सुरक्षा से संबंधित उपकरणों के प्रयोग एवं आपदा–प्रतिक्रिया से संबद्ध तकनीकि दक्षता का ऐसा प्रमाणीकरण धारित करें जो कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त हो एवं निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व एवं वर्तमान में तैयार हो। निविदा प्रक्रिया के पश्चात् प्राप्त प्रमाण पत्र पर विचार नहीं होगा।

12. सुरक्षा एजेंसियों को निविदा फार्म, चाहे गए दस्तावेज रजिस्ट्रेशन प्रति सह 75,000/– अर्नेस्ट मनी बैंक ओवर ड्राप्ट के रूप में जमा करना होगी। दरें मान्य न होने की स्थिति में जमा अर्नेस्ट मनी 15 दिवस के भीतर संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को लौटा दी जावेगी।

13. सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त दरों सह दस्तावेज, अर्नेस्ट मनी एवं अन्य रजिस्ट्रेशन प्रति अप्राप्ति पर उन निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

14. सुरक्षा सेवाऐं अवधि दिनांक 01/08/2025 से 31/07/2027 के लिए मान्य होगी। एवं सेवाऐं संतोषप्रद पाए जाने व दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर आगामी 06 माह तक सेवाओं में वृद्वि की जा सकेगी।

15. जिस सुरक्षा एजेंसी की दरें मान्य होती है। उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी राशि रू. 75,000/– सुरक्षा निधि के रूप में सेवा अवधि तक विद्यालय में जमा रहेगी। स्वीकृत सेवा अवधि के मध्य में सेवाऐं संबंधित सुरक्षा एजेंसी की ओर से प्रभावित करने पर जमा सुरक्षा निधि राशि राजसात् कर ली जावेगी।

16. विद्यालय भवनों एवं अन्य आंतरिकी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ रखने का दायित्व सुरक्षा एजेंसी का रहेगा। सेवाअवधि दौरान किसी प्रकार की चोरी, क्षति होने पर क्षति का आकलन कर सुरक्षा एजेंसी से वसूली की जावेगी। एवं किसी वैधनिक कार्यवाही होंनें पर फर्म इसके लिये जिम्मेदार होगी।

17. सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रदाय सुरक्षा गार्डों के पहचान को प्रमाणीकरण कर किसी प्रकार के अपराधिक प्रकरण तो दर्ज नहीं है। इसकी पुष्टि/प्रमाणीकरण सुरक्षा एजेंसियों को करना होगी। पहचान से संबंधित अभिलेखों की एक प्रमाणित प्रति कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

18. सुरक्षा गार्ड उम्र 25 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य की आयु के ही स्वीकार योग्य होंगे। एवं शैक्षणिक योग्यता दसवी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जिसका दायित्व सुरक्षा एजेंसी का होगा।

19. सुरक्षा एजेंसी को भुगतान स्वीकृत मान्य दरों पर मासिक सेवाऐं संतोषप्रद पाए जाने पर आगामी माह की 05 तारीख तक किया जावेगा।

20. सुरक्षा सेवा अवधि दौरान गार्डों को भुगतान में अनियमितता एवं P.F. & ESIC & GST & Other Tax Deposit दायित्वों का समयसीमा में निर्वहन न किए जाने पर सेवाऐं समाप्ति का प्राचार्य को विशेषाधिकार होगा।

21 सुरक्षा गार्ड व्यवस्था सेवाओं हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा Service Charge के संबंध में जारी निर्देशों में वित्तीय रूप से विद्यालय हेतु हितकारी प्रस्ताव पर निर्णय लिया जावेगा।

22. विद्यालय द्वारा जारी सुरक्षा गार्ड व्यवस्था टेण्डर के संबंध में अंतिम निर्णय अद्योहस्ताक्षकर्ता का रहेगा। जिसमें अनाधिकृत रूप से किसी सुरक्षा एजेंसी द्वारा विवाद की स्थिति उत्पन नहीं की जा सकेगी। एवं मान. न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जावेगा।

23. सुरक्षा गार्ड व्यवस्था सेवाओं हेतु प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव में सुरक्षा एजेंसियों की दरों में समानता होनें पर सुरक्षा सेवाओं, कार्यअनुभव, कार्यव्यवहार, सुरक्षा एजेंसी का वार्षिक टर्नओवर निम्नतम (पांच करोड) को महत्व के आधार पर उचित निर्णय लिया जावेगा।

24. सुरक्षा गार्ड सेवाओं हेतु प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव में जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दरों एवं केन्द्र, राज्य शासन के निर्देशों के अंतर्गत P.F. & ESIC & Service Charge & GST भुगतान के अतिरिक्त अधिकृत आदेश/निर्देशों के अनुपलब्ध्ता में अन्य किसी प्रकार की राशि Charge अथवा Tax राशि भुगतान हेतु विद्यालय बाध्य नहीं होगा।

25. उपरोक्तानुसार किसी भी शर्त/शर्तों को फर्म द्वारा मान्य नहीं किये जानें की स्थिति में उसका दरें प्रस्तुति का अधिकार स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

उपप्राचार्य
आदर्श उ. मा. विद्यालय
टी. टी. नगर भोपाल

प्राचार्य
आदर्श उ. मा. विद्यालय
टी. टी. नगर भोपाल